



## कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास, खैरथल-तिजारा (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

प्रो. एम. पी. यादव  
अधिष्ठाता

01460-294857

Email: dean.coakishangarhbas@sknau.ac.in

क्रमांक एफ.( )/भण्डार/कृमवि/किशनगढ़ बास/2024-25/187

दिनांक: 19.06.2024

### खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़-बास (अलवर) के वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्न कार्यों की आवश्यकतानुसार श्रमिक आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों/सेवाप्रदाता संस्थाओं/कृषकों जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाईसेन्स हों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 26.06.2024 को दोपहर 12:30 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रुपये 500/- अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़ बास के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, या नगद राशि का भुगतान कर दिनांक 26.06.2024 को दोपहर 11:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं, साथ ही डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 500/- का बैंक ड्राफ्ट, सलंगन करना अनिवार्य है। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन 2:00 PM उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास-अलवर द्वारा गठित टेण्डर कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. स.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रु)	2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि
1.	कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़ बास (अलवर) में ऑफिस कार्य, सफाई एवं महाविद्यालय से सम्बंधित अन्य कृषि कार्य हेतु उच्च कुशल, कुशल अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु।	9,80,000 /-	19600 /-

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि आप स्वयं अथवा आपके द्वारा नामित सदस्य को दिनांक 26.06.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उक्त कार्य के सपादन हेतु भेजने का श्रम करें।
3. कमेटी संयोजक/सदस्य/लेखाशाखा किशनगढ़-बास (अलवर) ।
4. प्रभारी सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) or <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
5. नगर पालिका, किशनगढ़-बास, /उप खण्ड अधिकारी, किशनगढ़-बास को उनके कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
6. मैसर्स.....
7. रक्षित फाइल

  
अधिष्ठाता

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

# कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़ बास, खैरथल—तिजारा

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

## श्रमिक आपूर्ति निविदा प्रपत्र - 1

1. ....के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पता.....  
.....
3. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है: अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय किशनगढ़—बास खैरथल—तिजारा
4. सन्दर्भ.....
5. बिड सिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणा पत्र (Declaration) निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार के नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है।
6. हम निविदा सूचना संख्या.....दिनांक.....की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर हैं. हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
7. ड्राफ्ट नं./ नगद रसीद नं.....दिनांक..... रूपये.....बोली प्रतिभूति धरोहर राशि हेतु संलग्न है।
8. आयकर विवरणी सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेशनए PAN & GST नम्बर सर्टिफिकेट संलग्न है।
9. निर्माता / डीलर का घोषणा पत्र संलग्न है।

  
अधिष्ठाता

हस्ताक्षर निविदादाता

# कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़ बास (अलवर)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

## निविदा प्रपत्र

(लिफाफा नं. 1 में रखें)

कृषि महाविद्यालय पर विभिन्न कार्यों के लिए उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

क्र.सं.	कार्य का विवरण
1.	योजना का नाम:- कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास, खैरथल-तिजारा के परिसर पर उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक
2.	बजट मद:- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर बजट / कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास खैरथल-तिजारा
3.	कार्य की अनुमानित अवधि: 01.07.2024 से 31.03.2025
4.	निविदा संदर्भ :- कृषि महाविद्यालय पर विभिन्न कार्यों के लिए उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा ।
5.	निविदा प्रपत्र :- एक
6.	निविदा प्राप्त करने का समय :- कार्यालय कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे दोपहर 12:00 बजे
7.	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि:- दिनांक 26.06.2024 को 12.30 PM तक
8.	निविदा खोलने की तिथि:- दोपहर 2.00 बजे दिनांक 26.06.2024
9.	निविदा खोलने का स्थान:- कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास, खैरथल-तिजारा
10.	पत्र व्यवहार हेतु पता :- अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास, खैरथल-तिजारा, 301405
11.	फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूची में नहीं है।
12.	दरे प्रपत्र-2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न कृषि कार्यों हेतु कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा ।

1. बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार किया जावेगा। (संलग्न लिफाफा नं. 1 में रखें) विवरण

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर

तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

  
अधिष्ठाता

**कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास, खैरथल-तिजारा**  
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

**निविदा हेतु शर्तें**

1. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर श्रीमान् अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़ बास-(अलवर) स्पष्ट लिखकर कार्यालय में प्रस्तुत करें
2. प्रस्तावित दर अंकों में स्पष्ट लिखकर देना होगा किसी भी प्रकार की काँट-छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त दरें 31.03.2025 तक मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से 3 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
3. निविदादाता / फर्म का केन्द्र / राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
4. प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
5. निविदादाता / फर्म पिछले तीन साल का टर्न ओवर प्रमाण-पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. निविदा प्रपत्र कार्यालय में कार्य दिवस में रुपये 500/- जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।
7. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस.आई करवाने / सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. अगर निविदादाता / फर्म अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटा दिया जावेगा और जमा अमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
9. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11. वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक फर्म का होगा।
10. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एव उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
11. निविदासूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम 68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी।
12. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
13. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
14. कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़ बास-(अलवर) द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्म में दर्शायी गयी हैं) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.5 (6)न्यू मू/श्रम/2000/पार्ट/7182 जयपुर, दिनांक 06.03.2019 एवं समय-समय पर संशोधित परिपत्रों के अनुसार लागू होंगी।



16. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी । निविदा के साथ 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। इसके आभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर आवश्यक है।
17. सफल निविदादाता को 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि भी जमा करानी होगी।
18. यदि इस संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधनों की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जायेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी का गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी
19. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर इस संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
20. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण के बाबत इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
21. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता / फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत पर कॉलेज कमेटी द्वारा निर्धारित पेनल्टी के हिसाब से अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़ बास-अलवर में शस्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर इस महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
22. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
23. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
24. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display board लगाये जायेंगे जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि. कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
25. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
26. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान के प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से सलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा।



27. निम्नांकित प्रमाण पत्र मजदूरी के बिल के साथ संलग्न करना होगा।

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़-बास में अनुबन्धित विविध श्रेणियों/दक्षता के श्रमिकों का माह .....20.... में श्रमिकों का मानदेय उनके बैंक खातों में NEFT के माध्यम से द्वारा जमा करा दिया गया है। उक्त सभी भुगतान की ई.पी.एफ व ई.एस.आई राशि सम्बन्धित श्रमिकों के EPF/ESI खातों में जमा करा दी गई है। इसकी पुष्टि सम्बन्धित श्रमिकों के भुगतान सूची ई.पी.एफ व ई.एस.आई सूची (नाम एवं खाता संख्या सहित है) से कर ली गई है। एवं प्रति संलग्न है।

28. विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामो / दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
29. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 •एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एव उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
30. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
31. फर्म / प्लेसमेंट ऐजेंसी की RTPPA 2012, RTPPR 2013 एवं GR&AR में उपलब्ध प्रावधान की पालना करनी होगी तथा उल्लंघन पर प्रावधानानुसार कार्यवाही / शास्ती / पेनल्टी वसूली जायेगी
32. श्रमिकों को लाने ले जाने आदि कार्य व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
33. चौकीदार / लेवर आदि अपनी उपस्थिति प्रत्येक माह कार्य से संबंधित अधिकारी / कर्मचारी से सत्यापित करायेगा। अधिकारी / कर्मचारी के सत्यापन के पश्चात् ही उस माह का मानदेय देय होगा।
34. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद का न्यायिक क्षेत्र अलवर होगा।
35. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
36. माहवार कार्य की गणना 26 दिवस ( श्रम विभाग राजस्थान सरकार अधिसूचना क्रमांक/एफ. 5 (6)/न्यू म./श्रम/2000/पार्ट/1125 दिनांक 16.01.2018) के हिसाब से की जायेगी
37. नियमानुसार टीडीएस काटा जावेगा।
38. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार / पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।
39. निविदादाता / फर्म को बिडसिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणा-पत्र (Form of Bid & Securing Declaration) श्रीमान् अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़ बास (अलवर) के नाम निविदा प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा।
40. कार्यो का भुगतान संतोषजनक होने पर ही हर एक का भुगतान देय होगा किसी भी लापरवाही के चलते दैनिक वेतन काटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
41. किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि श्रमिक कार्यालय ड्यूटी से अनुपस्थित पाया जाता है या कार्य में लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
42. उपरोक्त शर्तों की सहमति दो गवाहों से सत्यापित करवाकर रु 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र लिखकर कार्यालय में देना होगा।
43. यह ठेका किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा तथा जिस फर्म के नाम ठेका होगा वही कार्य करेगी अन्य कोई नहीं। फर्म खुद श्रमिक लगाकर इन कार्यो को करवा सकती है जिसका भुगतान फर्म अपने स्वयं के मासिक भुगतान में से करेगी।

*(Handwritten Signature)*

44. सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र में दी गई दरें। 31.03.2025 तक के लिए मान्य होंगी, जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।
45. किसी भी ब्लैक लिस्टेड फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं कर सकता।
46. समस्त भुगतान स्वीकृत फर्म / प्लेसमेंट एजेन्सी को बैंक / NEFT द्वारा किया जायेगा।
47. श्रमिकों को संबंधित कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
48. कार्यालय में श्रमिक आवश्यकतानुसार ही लगाएंगे जाएंगे व नियोजित करने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उन श्रमिकों को हटाया जा सकता है।
49. श्रम विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी orders/circulars /शर्तें भी इस टेण्डर पर लागू होंगी।
50. मैं/ हम उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने हेतु पाबन्द रहूंगा।
51. उक्त शर्तों को अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में फर्म/प्लेसमेंट एजेन्सी हस्ताक्षर एवं मोहर/सील के साथ इस महाविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

निविदा दाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट— निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जायेगी

1. लिफाफा नं0 1 में फर्म / प्लेसमेंट एजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र ESI/PF रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बिडसिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणापत्र (Form of Bid&Securing Declaration) तथा का DD/BC/GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्तें इत्यादि प्रस्तुत की जानी है। इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा नं0 2 नहीं खोला जावेगा।
2. लिफाफा नं0 2 में केवल वित्तीय निविदा (दर) प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

हस्ताक्षर निविदा दाता

  
अधिष्ठाता

(लिफाफा नं. 2 में रखें)

कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास खैरथल-तिजारा  
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

वित्तीय निविदा प्रपत्र-2

विभिन्न श्रमिकों की आपूर्ति के उपापन के लिए निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत करें।

क्र.	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति / श्रमिक दर	EPF दर प्रतिशत (13.00 %)	ESI दर प्रतिशत (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
	कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन का प्रकार	वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दर (रु)				सर्विस चार्ज राशि (रु.)	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	अकुशल श्रमिक	285 /- प्रतिदिन					
2.	अर्द्ध कुशल श्रमिक	297 /- प्रतिदिन					
3.	कुशल श्रमिक	309 /- प्रतिदिन					
4.	उच्च कुशल श्रमिक	359 /- प्रतिदिन					

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय मोहर

पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


दिनांक : .....

  
अधिष्ठाता



वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रु.)
2021-22	
2022-23	
2023-24	
योग	
औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष	
सी. ए. द्वारा प्रमाणित	

  
अधिष्ठाता

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर व दिनांक

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मैंने/हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा इकाई की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य करने/होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/संस्था/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरा/हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा विषयान्तर्गत मुझे/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया लें

मुझे/हमें कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़-बास कें इस टेण्डर की समस्त शर्तें मान्य रहेगी।

  
अधिष्ठाता

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

**Affidavit**

(On non-judicial stamp paper of ' 100/-)

I.....S/o,D/o,W/o.....A  
ged..... yrs. residing at..... Proprietor/Partner/Director of M/s  
.....do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s..... has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District industries Centre.....the acknowledgment No. is .....Dated.....and has been issued for manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/ our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum has not been cancelled or withdrawn by the industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is equipped to manufacture the above noted items.

Signature of Proprietor /Director  
Authorize Signatory with Rubber  
Stamp and date

**Verification**

I.....S/o.....Aged.....yrs. residing  
at Proprietor /Partner/Director of M/s .....verify and confirm that the content at  
(a). (b). and (c) above are true and correct to the vest of my knowledge and nothing has been  
concealed there in. So help me God.

Deponent

## Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the ..... (First/Second Appellate Authority)

## 1. Particulars of the appellant:

- (i) Name of appellant:
- (ii) Official Address. If any
- (iii) Residential Address

## 2. Name and address of the respondent (s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

## 3. Nonbar and date of the order appealed and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy). Or a statement of a decision, action of omission of the procuring entity in contravention to the provision of the Act by which the appellant is aggrieved

## 4. If the appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative.

## 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.

## 6. Ground of appeal..... ( supported by an affidavit)

## 7. Prayer.....

Place: .....date.....

Appellant's Signature

  
अधिष्ठाता

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर